न्यायालय—अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल जज(सी0डि0)बांदा

सीएनआर नं.यूपीबीडी0500010192019 रजि.011 / 2019

<u>07.2.2019</u>

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त रामदेव यादव पुत्र सभाजीत की ओर से मुकदमा संख्या 119 / 08 अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 थाना पैलानी के मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष है उसे झूंठा एंव रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी दिनांक 29.1.2019 से जेल में बंद है अतः उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

सुना एंव प्रपत्रों का अवलोकन किया। मामले के तथ्यों एंव अपराध की प्रकृति को देखते हुये जमानत के आधार पर्याप्त प्रतीत होते हैं, तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त रामदेव स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु020 हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एंव इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

सिविल जज(सी0डि0) / ए.सी.जे.एम.बांदा।